

2

SUMMARY TRIAL UNDER 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of. **Mahendra Saini** Magistrate. **Sanawad** .Class. **First**
case No.. 71 . of 2020 Complaint or report made on . **27-02-2020** Name and address of the
complainant -Thana **Bedia**

Name, parentage, caste and address of accused

रामेश्वर पिता छितू निवासी ग्राम कातोरा थाना बैडियां

The offense complained of, and date of, its alleged commission

तुम दिनांक **27.02.2020** को **18:00** बजे स्थान **बैडियां बस स्टेण्ड** के **पीछे बैडियां** पर लोगों से रुपये-पैसे लेकर अंकों पर हार-जीत का दाव लगाकर सट्टे पर्चीया पर अंक लिखकर सट्टा पर्ची लिखते हुए पाये गये और मौके पर आपसे पांच सट्टा अंक लिखी पर्चीया, एक लीट पेन, एवं नगदी **500/-** रुपये जप्त किये गये ।

इस प्रकार तुमने वह अपराध कारित किया जो सार्वजनिक द्युत कीडा अधिनियम की धारा 4-क के अंतर्गत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है । क्यों न तुम्हें उक्त अपराध हेतु दण्डित किया जावे ।

The plea of the accused and his examination (if any)

आरोपी की प्ली :-

आरोप स्वीकार है ।

रामेश्वर

8/4/2020
(महेश्वर सैनी)
महेश्वर सैनी, जज श्रेणी,
न्यायालय (म.प्र.)

The offense proved, if any, and in case under clause, (d) clause(e) clause(f) or clause(g), of sub-section(i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offense has been committed.

GCPB-1755-DCGCPB-23-12-2001-2,00,000

// निर्णय //

(आज दिनांक 04.03.2020 को घोषित)

1- आरोपी रामेश्वर पिता छितू निवासी ग्राम कातोरा थाना बैडियां के विरुद्ध आरक्षी केंद्र बैडियां के द्वारा सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम की धारा 4-क के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

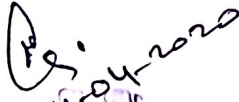
2- आरोपी पर अपराध विवरण लगाया व समझाया जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छया अपना अपराध स्वीकार किये जाने पर उसे सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम की धारा 4-क के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

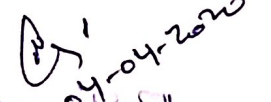
3- आरोपी का कृत्य लोकनीति के विरुद्ध होने से उसकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को सार्वजनिक धूत कीड़ा अधिनियम की धारा 4-क के अधीन दण्डनीय अपराध में 1000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

4- प्रकरण में कोई जप्तशुदा मुददेमाल नगद रुपये 500/- राजसात किये जाकर कोषालय में जमा कराये जावे। जप्तशुदा सट्टा पर्ची, कार्बन का टुकड़ा, लीड-पेन मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय टंकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।


(04.03.2020)
न्यायिक प्रांशुदेव अग्रवाल, जज,
द्वारापद, पश्चिम विभाग (प.प्र.)


(04.03.2020)
न्यायिक प्रांशुदेव अग्रवाल, जज,
द्वारापद, पश्चिम विभाग (प.प्र.)